CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER

Incidents of Death of Pilgrims at Ujjain and Hardwar on 15th July, 1996

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I have a list of speakers before me. Shri S.S. Ahluwalia—not present. Shri John F. Fernandes—not present. Shri K.R. Malkani.

SHRI K.R. MALKANI (DELHI): Madam Vice-Chairman, what has happened in Ujjain and Hardwar is truly shocking. But this is not for the first time that this has happened. I remember in the 'fifties' a major tragedy struck at Allahabad in which hundreds of people had lost their lives. But we do not seem to have learnt any lessons from our experience. I would like to seek a few clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Dar, why don't you sit on the front bench? Mr. Malkani, please continue.

SHRI K.R. MALKANI: In the case of Ujjain, the statement says that so many lives were lost. The statement indicated that 23 males, 1 child and 11 females lost their lives. I think this distinction is not relevant because a life is a life, after all. It would have been enough if the Minister stated that so many lives were lost. My information is based on what my good friend, Chaman Lal, a Member of Lok Sabha, told me. He was present on the spot. He attends these melas whenever and wherever they are held. What he told me makes me shocking.

The Government says that the estimated pilgrims were 15 lakhs, but 25 lakh pilgrims came there. This extra did not descend from the heaven. They came in trains, buses, etc. Did not the Government know the kind of rush that was going to be there? Because of "Somwati Amavasya", there is an extra rush. But this happens every three years. Why did not the Government anticipate this?

The Government says that one bridge was damaged last year. Too bad. Is one year not enough to repair a bridge? Assuming that the bridge could not be repaired, why could they not have the fourth bridge? What happened actually is incomprehensible. Only one bridge was in use. People were going to and fro on the same bridge and there was not even a dividing rope. Who is supposed to be responsible for these failures?

In Ujjain, four officers had been suspended including a Superintendent of Police. But in the case of Hardwar, only one Sub-Inspector and one Naib Tehsildar were suspended. Why? Are not the senior officers responsible for what had happened?

The statement says that we will know the facts when the enquiry report comes in. But in the case of Hardwar, no enquiry was instituted as yet.

This tragic incident took place between 6.15 am and 6.30 am. The police arrived at the sane only at 7.45 am. Mr. Gupta told me that more than 100 policemen were deployed. This time, not even 10 policemen could be seen.

There were no loudspeakers to guide the pilgrims as to where to go and where to stop, what to do and what not to do. It was a complete non-arrangement. It was not a collapse of arrangements, but there was no arrangement at all. There was no emergency van, no medical van and the people had to hire tempos from the bazaar to carry the bodies up to 9'c clock. From one point of view, the real tragedy is that there was no Government there, there was no Assembly there and even the Governor did not know whether he was coming or going. The normal practice earlier in India has been that whenever the Governor's office falls vacant, the Chief Justice is sworn in as the acting Governor. It is a very healthy, very sensible practice. Why was it not adopted here? Why is it not being adopted anywhere so that this kind of a situation does not arise? Madam, this is

all I have to say. I hope the Minister will have something to explain.

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): महोदया, उज्जैन के संबंध में माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य है उसमें कई प्रश्न खड़े होते हैं। उज्जैन में इतनी भीड़ पहली बार हुई हो ऐसी बात नहीं है। उज्जैन में अर्ध कुम्भ भी होता है, जहां 25-25 लाख लोग तक आए हैं और उसका भी प्रबंध ठीक प्रकार से हुआ है। लेकिन इस बार व्यवस्था सही क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं लग गई कि इतने लोग वहां आ गए हैं? वहां जितने लोग उपास्थत थे उनमें से अधिकांश बाहर के लोग थे। अगर आप मरने वालों की सूची देखेंगे तो उसमें से 80 प्रतिशत लोग उज्जैन से बाहर के हैं। वे स्थानीय नहीं थे। तो क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि बड़ी संख्या में लोग वहां आ गए हैं? क्या यह बात सही है कि उस मंदिर का प्रबंध राज्य शासन के हाथ में है और अगर राज्य शासन के हाथ में है तो इस अतिरिक्त भीड़ को देखकर वहां पर कितने पुलिस कर्मी उस भीड़ को नियनत्रित कर रहे थे और कितने पुलिस कर्मी वहां पर लगाए गए थे, इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरी जानकारी है कि वहां पर केवल चार पुलिस कर्मी थे, इसके अतिरिक्त वहां कोई था ही नहीं जो भीड़ को नियंत्रित कर सकता। अगर लाखों लोगों की भीड़ है और केवल चार पुलिस कर्मी हैं तो उससे तो काम नहीं चल सकता। क्या वहां के कलक्टर, एस० पी० इस बात को नहीं समझ सकते थे। हमने जो अपनी बात पहले कही थी उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि वहां जो नए आयुक्त आए थे वह भस्मी आरती में सवा घंटे तक अपने परिवार के साथ मंदिर को बंद करके गर्भ गृह में बैठे रहे और इस कारण से भीड़ बढ़ती रही। इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। तो क्या यह बात सही है और अगर सही है तो उसका इसमें उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस दुर्घटना का मुख्य कारण वही था। वहां बाहर कोई लाउड स्पीकर की भी व्यवस्था नहीं थी। कुछ सूचनाएं या कुछ घोषणाएं करनी हो तो इसके लिए लाउड स्पीकर की जरूरत होती है। इसकी भी वहां व्यवस्था नहीं थी। तो क्या यह बात सही है? वक्तव्य में कहा गया है कि इसके लिए एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक आयोग गठित किया गया है। अगर प्रशासनिक आयोग गठित किया गया है तो उसके व्यक्तियों की घोषणा होनी चाहिए कि उसमें कौन जज नियुक्त किया गया है। उसकी घोषणा अभी तक भी नहीं की गई है। क्या इसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई है? अगर प्राप्त हुई है तो उस आयोग के कौन जज नियुक्त हुए हैं वह भी मालूम होना चाहिए। इससे भी दुखद बात यह थी कि दुर्घटना के एक घंटे बाद तो कलक्टर बगैरह मौके पर पहुंचे जब अस्पताल में लाशें पहुंच चुकी थी। लेकिन अस्पताल में कफन तक की भी व्यवस्था नहीं थी। वहां के व्यापारियों ने अपनी दुकान खोल-खोल कर कपड़ों के थान लाकर तब कफन की व्यवस्था की। दवाईयों की व्यवस्था की बात तो अलग है। जब कफन तक की भी व्यवस्था अस्पताल में नहीं थी तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां अस्पताल का प्रबंध कैसा था? यह प्रश्न ऐसे है जो इस पीड़ा को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इन सब बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री राधाकिशन मालवीय (मध्य प्रदेश): माननीय महोदया, उज्जैन प्राचीन नगरी है। जहां यह घटना घटी है वह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है महाकाल का। जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध यह ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर है। हिंदू लोग सोमवती अमावस्या पर्व को बहुत ज्यादा मानते हैं और प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि इस दिन यहां पर भीड़ अधिक होगी और भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। महोदया, भस्म आरती का समय होता है प्रातः चार से पांच बजे के बीच में। यह भस्म आरती क्या है, माननीय मंत्री जी, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ऐसी कहावत है कि महाकाल के मंदिर में महाकाल को रोज़ एक मुर्दे की राख से तिलक लगाया जाता था। वह अभी तक चला आ रहा था मगर तीन-चार साल पूर्व उसको बंद कर दिया गया है और अब वहां पर चौबीस घंटे अग्नि जलती है और उसकी राख से सुबह चार से पांच के बीच में महाकाल का अभिषेक होता है। उस अभिषेक के बाद पब्लिक दर्शन करने के लिए महाकाल के मंदिर में जाती है।

प्रशासन को यह मालूम था कि सोमवती अमावस्या होने से यहां पर भीड़ होने वाली है। नए कमिश्नर, पी० एस० तोमर, अपने परिवार सहित उस अभिषेक में शरीक हुए। हज़ारों की तादाद में भीड़ वहां थी। जो मैंने जानकारी ली उसके अनुसार केवल तीन पुलिसकर्मी थे वहां पर और जो भी प्रशासन के आदमी थे उस व्यवस्था में, वे कमिश्नर की चमचागिरी मे लगे हुए थे। पुलिस प्रशासन सब उनकी व्यवस्था में लगा था और इस प्रकार से जब लोगों को मालूम हुआ कि भस्म आरती खत्म हो गई है तो भीड़ एकदम आगे बढ़ी। जो एक छोटा संकरा रास्ता है जिससे पब्लिक वहां पर दर्शन करने के लिए

जाती है, उस भीड़ से वहां जो लोहे के ऐंगल थे बड़े पुराने, वे भी टूट गए और लोग उस भीड़ में ऐसे आगे बढ़े कि एक के ऊपर एक गिरना शुरू हुए और दम घुटने से वहां पर 34 आदमी जैसा कि सरकार ने कहा कि 34 आदमियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। महोदया, 34 तो वे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है मगर मरने वालों की संख्या 50 के करीब है और जो घायल हुए थे, उनमें से भी कल दो आदमियों की मृत्यु हो गई है। जब इतनी बड़ी घटना घटी, कलेक्टर वहां पर मौजूद नहीं था। कलेक्टर 1980 से उस मंदिर की प्रबंध समिति का अध्यक्ष है। उससे पहले पुजारियों का उस पर अधिकार होता था मगर 1980 के बाद राज्य सरकार ने वहां पर एक प्रबंध कमेटी बनाई जिसमें कलेक्टर उसका मुखिया होता है। कलेक्टर उस वक्त वहां मौजूद नहीं था और प्रशासन के दूसरे लोग कमिश्नर की सेवा में लगे थे। कमिश्नर वहां से पूजा करने के बाद रवाना हो गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस वक्त जब भस्म आरती वहां पर हो रही थी, कमिश्नर वहां एक घंटे तक पूजा करने के लिए क्यों बैठा और वहां पर आपके बताए हुए जो 34 आदमी मरे हैं, जब कोई मारता है तो उसको मृत्यु-दंड दिया जाता है, उसको सज़ा होती है, कानून अपना काम करता है और ये जो लोग मरे हैं, वे कमिश्नर की वजह से मरे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उनके ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 302 लगा कर आप वैसा ही आरोप लगाएंगे? क्या न्यायिक जांच होगी? उनको भी वैसे ही दंडित किया जाएगा या उनको फांसी लगाई जाएगी या उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा जिसकी वजह से यह इतना बड़ा हादसा वहां हुआ? मैं कमिश्नर के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि इनके रहते-रहते इस संसद में वह मसला उठा था। दुर्ग में शंकर गुहा हत्याकांड, हमारे पुराने साथी यहां हैं, उसको जानते हैं। आज तक पता नहीं लगा मारने वालों का और ये कमिश्नर उस वक्त दुर्ग में कमिश्नर थे। किसी की मिलीभगत से हमारा एक श्रमिक कर्मचारी मारा गया? यही पी० एस० तोमर जब मंदसौर में थे तो पशुपतिनाथ मंदिर में लाठीचार्ज हुआ और जब ये उज्जैन में आए तो उज्जैन में इस प्रकार की घटना घटी है। मेरा माननीय मंत्री जी से इतना ही अनुरोध है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कोई बख्शने की जरूरत नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवक है, आई० ए० एस० अधिकारी है। स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं है, आपके अधिकारी हैं। अगर उनकी वजह से घटना घटी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का आप इस सदन को आश्वासन दें। उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इन्होंने अर्धकुम्भ की बात की, वहां सिंहस्थ का मेला लगता है, 12 साल में और लाखों-करोड़ों रुपये सरकार के उस व्यवस्था में खर्च होते हैं। दुनिया भर के लोग उज्जैन में आते हैं। उज्जैन का नाम उज्जैनी था, इसका नाम अवांतिका था। यह एक प्राचीन स्थल है, एक धार्मिक स्थल है और ऐसे स्थान पर जाकर जनता की अगर मौत होती है, तो इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): महोदया, सदन के अंदर ऐसी दर्दनाक घटना की चर्चा हो रही है, जिससे सुनने वाले का दिल दहल जाता है। चाहे आप उज्जैन की बात करें, चाहे हरिद्वार की बात करें, इन घटनाओं के पीछे प्रशासन की लापरवाही के कारण रहते ही हैं। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो इन घटनाओं को जान-बूझकर कराना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन घटनाओं के पीछे कुछ दूसरे तत्वों का तो हाथ नहीं है, जो इस प्रकार की घटना उज्जैन और हरिद्वार में जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर कराना चाहते हैं। प्रशासन को यह पता ही है कि 25 लाख के करीब यात्री हरिद्वार के अंदर आएंगे और आए हैं। पहले भी घटनाएं होती रही हैं। दो पुल होने के बावजूद हर की पौड़ी पर घटनाएं होती रही हैं तो प्रशासन ने क्यों नहीं सोचा कि एक पुल से आने-जाने में लोगों को कठिनाई होगी? दूसरे, वे लोग कौन थे जो लोग कह रहे थे कि साधू महाराज आ रहे हैं, हट जाओ, हट जाओ? तभी भगदड़ मची थी। यह भी बताने का कष्ट करें। साथ ही मुझे यह संदेह है कि ज्यादा भीड़ को देखकर, जब एक तरफ से ज्यादा लोग आ रहे थे तो उनको कंट्रोल करने के लिए कहीं पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज तो नहीं किया, जिसके कारण भगदड़ मची हो। इन बातों को स्पष्ट करें। उज्जैन का जो सवाल है, अभी मालवीय जी कह रहे थे, दूसरे माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि उज्जैन के अंदर प्रशासनिक अधिकारी एक दो घंटे के बाद पहुंचता है। यह तो कफन की बात कर रहे थे कि हास्पिटल में कोई कफन नहीं दे रहा था लेकिन मेरे सुनने में तो आया है कि अस्पताल में इलाज करने के लिए जो डॉक्टर थे। उन्होंने चार-पांच घंटे तक घायलों को देखा तक नहीं। हो सकता था कि उनमें से कुछ लोगों की जान बच जाती, यदि वहां के चिकित्सक और प्रशासक ध्यान देते। तो माननीय मंत्री जी, आप सब-इंस्पैक्टर और तहसीलदार को सस्पेंड कर दें, इससे काम चलने वाला नहीं है। बेसिक बात देखनी पड़ेगी। हिन्दुस्तान भेड़चाल में चलने वाला देश है, यह धार्मिक देश है। भेड़चाल में इसलिए कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर यहां लोगों की भीड़ इकट्ठी की जाती है। तो ऐसे धार्मिक स्थानों को देखते हुए प्रशासन को पहले

से ही ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि इस तरह की घटना दूसरे स्थानों पर न घटे, इसके लिए आप पहले से ही राज्य सरकारों को विशेष निर्देश दें कि जो भी तीर्थ स्थान हैं, जहां पर लोग जान-बूझकर इस तरह की घटनाएं कराना चाहते हैं, उनका जो उद्देश्य है, वह पूरा न हो, इसके लिए आप राज्य सरकारो को क्या निर्देश दे रहे हैं, यह बताने का कष्ट करें।

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, उज्जैन में तो यह पहली बार दुर्घटना घटी है लेकिन हरिद्वार और दूसरे कुछ तीर्थ-स्थलों पर कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं घटी चुकी हैं! हर बार एक ही काम होता है। जब-जब भीड़ को रोका गया, चाहे वह किसी वीआईपी को जगह देने के लिए किया गया हो या इलाहाबाद वगैरह में अतीत में किसी अखाड़े के लिए किया गया हो, जैसे नागा अखाड़े के संतों के लिए, जब-तब ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। यह तो स्पष्ट है कि उज्जैन में एक अधिकारी के परिवार की पूजा अर्चना के लिए भीड़ को रोका गया। उमड़ती हुई भीड़ के लिए सकरी जगह में प्रवेश करने पर कंफ्जूजन पैदा हुआ और एक व्यक्ति के स्लिप होने के बाद ही भगदड़ हुरू हुई जिससे तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

हरिद्वार के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। महोदया, मैं आपके माध्यम से एक नई बात बताना चाहता हूं और मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वह इस बिन्दु पर भी गौर करें। पिछली बार जब हरिद्वार में कुम्भ का मेला हुआ था और जब-जब कुम्भ का मेला होता है तो ज्यादा तीर्थ यात्रियों के आगमन के लिए टेम्परेरी पुल बनाये जाते हैं और जब मेला खत्म हो जाता है तो पुलों को हटा दिया जाता है। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ था, मुझे कुछ इंजिनियरों ने भी बताया कि हमेशा ये पुल हटा दिये जाते थे, लेकिन इस बार नहीं हटाये गये थे। कुम्भ के जमाने में जो टेम्परेरी पुल बनाये गये थे उसमें से कुछ को बाद में हटा दिया गया। लेकिन उनमें से वह पुल मौजूद रहा जो अभी गिरा था। क्या वजह थी कि उस पुल को हटाया नहीं गया था? यदि हटाया नहीं गया था तो क्या उसकी स्ट्रेंग्थ की जांच की गई थी कि वह वजन को बर्दास्त कर सकेगा? इस तथ्य को मैं जानना चाहूंगा। आप इसकी जांच करायें।

महोदया, कुम्भ के मेले पर बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया जाता है और मुझे यह जानकारी है कि वहां पर पोस्टिड अधिकारी उस पैसे का बहुत बड़े पैमाने पर दुरूपयोग करते हैं। पुल बनाने में जो मेटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी की भी कभी जांच नहीं होती है। वह बहुत सब-स्टेंडर्ड होता है और वे यह जानते हैं कि पुल एक सीजन चलेगा, उसके बाद इसको हटाना ही पड़ेगा। इस बात को कोई देखता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो पुल टूट गया है उसमें जो मेटेरियल लगा है उसकी भी जांच कराने की कृपा करें।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पचिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से 15 जुलाई, 1996 को उज्जैन और हरिद्वारा में तीर्थ यात्रियों की मृत्यु की घटनाओं के बारे में गृह राज्य मंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था उसके संबंध में कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। मेरा पहला प्रश्न यह है कि हमारे देश में विविध धर्म, सम्प्रदाय हैं। अनेक धर्म स्थलों में, विशेष-विशेष अवसरों पर, विशेष स्थानों पर इसी तरह दर्शनार्थियों के मेले लगते हैं। यह घटना एक असावधानी की वजह से हुई है। क्या भविष्य में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए स्थाई प्रबन्ध या व्यवस्था राज्य या केन्द्र सरकार की ओर से की जायेगी?

दूसरी बात जो यहां नहीं दी गई है लेकिन अखबारों में इसकी सूचना मिली है। जैसा कि मैंने इन्डियन एक्सप्रेस में और दूसरे अखबारों में पढ़ा था कि कुछ सीनियर आफीसर अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए आये थे और मन्दिर में उनके प्रवेश की विशेष व्यवस्था की गई थी जब कि हजारों लोग बाहर रह गये थे और यह जो स्टम्पेड की घटना घटी है, शायद उसी के कारण हुई है। 15 तारीख को यह घटना घटी है और आज 18 तारीख है तो क्या अब कोई इन्कवारी की गई है जिससे यह पता चल सके कि ये सीनियर आफीसर इसके लिए जिम्मेदार हैं? यहां पर टूटे हुये पुल का भी जिक्र किया गया है। ऐसे पुल, प्रायः जब भी मेले लगते हैं तो बड़े ही कच्चे रूप में बनाये जाते हैं क्यों यह पता रहता है कि मेला समाप्त हो जाने के बाद इन पुलों पर यातायात करने वालों की संख्या इतनी अधिक नहीं होगी। क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि इस प्रकार के विशेष अवसरों पर, लोगों के पूजास्थलों पर आने जाने वाले लोगों के लिए स्थायी प्रबन्धन किया जायेगा? जो लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं क्या उनमें से किसी की हालत अधिक शोचनीय है, क्या सरकार ने यह पता लगाया है? उपसभाध्यक्ष महोदया आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री गोविनदराम मिरी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे देश में ऐसे अवसरों पर भीड़ एकत्रित होना कोई नई बात नहीं है, धार्मिक देश है और यह

अपेक्षा की जाती है कि वहां के जो अधिकारी हैं उनसे कि वे श्रेष्ठ व्यवस्था करेंगे और कितने लोग आने वाले हैं इसका अनुमान लगाकर व्यवस्था की जाती है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि 15 जुलाई को जो घटना उज्जैन और हरिद्वार में हुई, दोनों जगह शासन पक्ष, प्रशासन और पुलिस की ओर से घोर उपेक्षा बरती गई है। इसी प्रकार से ये घटनाएं हुई हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सिर्फ 34 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। लेकिन वहां हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होकर आये हैं। उन्होंने बताया है कि कम को कम 125 लोगों की वहां मृत्यु हुई है। मृतकों की संख्या भी सरकार बराबर नहीं बता रही है। वहां सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। घायलों की कुल संख्या कितनी है यह पूरा ब्यौरा भी नहीं दिया गया है। घायलों को जो कम्प्रसेशन या राशि दी गई है वह गम्भीर रूप से घायलों को 25 हजार और घायलों को 10 हजार है। यह राशि उनको कितने दिन में देने की बात हुई यह कोई स्पष्ट नहीं किया गया है।

इस वक्तव्य में बताया गया है कि उज्जैन के नगर पुलिस अधीक्षक, मंदिर क्षेत्र के प्रभारी टाउन इंस्पैक्टर तथा ड्यूटी पर तैनात कार्यकारी मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया है। जो असली दोषी है और जो लोग दोषी नहीं भी होते, हमेशा जो छोटा कर्मचारी होता है उसी को बलि का बकरा बनाया जाता है। यह कार्यवाही जो जिला लेवल के अधिकारी हैं, संभाग लेवल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। जैसा अभी हमारे माननीय मित्र मालवीय जी ने भी मांग की है, मैंने उस दिन भी अपने वक्तव्य में कहा था कि यह एक हत्या है और जब तक ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, एकाउंटेबलिटी है, जिनपर कोई हत्या का अपराध या हत्या करने के प्रयास का अपराध है, उनके ऊपर कोई हत्या का अपराध या हत्या करने के प्रयास का अपराध है, उनके ऊपर कोई मुकदमा न चले, तब तक ऐसी गतिविधियां चलती रहेगी। जो मुआवजा दिया जाता है वह सात्विकतौर पर दिया जाता है। यह जनता का धन है। गलती किसी की होती है, धन किसी का खर्च होता है। मैं मांग करना चाहता हूं कि जो भी मुआवजे की राशि है उसकी वसूली वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, खासकर जो वहां के आयुक्त का नाम आया है, राजा साहब का, उनके वेतन और भत्ते से वसूल की जाये ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो और वहां पर संवेदनशील और सूझबूझ वाले अधिकारी नियुक्त किये जायें तथा वे मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत हों। यह नहीं कि वे अपने परिवार और पूजा के लिए घंटों मंदिर को बन्द करवा दें जनता चाहे कहीं जाये। यह प्रिविलेज उनको नहीं मिलना चाहिए।

मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि इसमें प्रशासनिक जांच के बदले न्यायिक जांच कराई जाये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

बड़े अधिकारी जिन पर आरोप है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरी मांग है कि भविष्य में हर जगह जहां पर की इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हों, चाहे वह किसी भी धर्म और सम्प्रदाय के हों वहां पर शासन के द्वारा समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनायें न हों। महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (GUJARAT): Whenever and wherever there are religious fairs or gatherings, it is expected that a crowd would gather. And at many places, we experience untoward incidents. It is a very serious state of state of affairs that 60 persons have died in both the stampedes. When a statement from the administration comes, we find that some officers have been suspended for their dereliction in their duty. And for some time they continue to be under suspension. In both these cases, we find Madhya Pradesh Government officers have been transferred and in the Hardwar incident two officers have been suspended. But with transfers and suspensions, I think, this type of negligence is only going to be shifted; it is going to remain. If the officers are to be transferred from one place to another, then I think there would not come about any alertness in the discharge of their duties. May I know from the Government whether the Government is planning to take strong action against the officers. At the same time, so far as Hardwar incident is concerned, when the bridge was in a dilapitated condition and was declared unfit for use, why were the pilgrims allowed to pass through that bridge? Why was action not taken against the engineers, who were supposed to look after the maintenance of the bridge? That is all. Thank you, Madam.

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

उपसभाध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत ही दुखद घटना है। पूरे देश में बड़े-बड़े तीर्थ स्थानों पर भीड़ इस तरह बढ़ती जा रही है जिस तरह से पेट्रोल की खपत बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की खपत देश में हर वर्ष 8 प्रतिशत बढ़ रही है, उसी तरह से तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। भीड़, भगदड़ और मौत ये आम बातें हो गई हैं। हर वर्ष हम लोगों को कहीं न कहीं इस बारे में सुनने को मिल जाता है। यह जो धर्म का मामला है यह स्टेट का मामला नहीं है, यह बहुत व्यापक मामला है। यह धारण करने की चीज है इसको रोका नहीं जा सकता है।

महोदया, हम मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या केन्द्र में, ऐसी घटना फिर से न हो एक सेल की स्थापना की जाएगी? जिस धर्म पर लाखों की संख्या में, चाहे वह मुसलमानों का हो, चाहे हिन्दुओं का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे इसाइयों का हो, जहां भी भीड़ लगती हो, तो उसकी देखरेख के लिए, उस पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए सरकार क्या एक सेल की स्थापना पर गंभीरता से विचार करेगी? आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHAMMAD MAQBOOL DAR): Hon. Vice-Chairman, before replying to the points for clarification, I want to add some more information which I have received from the Madhya Pradesh Governemnt. It has been ascertained from the State Government of Madhya Pradesh that transfer orders were issued by late night on 17th July 1996 in respect of the Commissioner, the Collector, the Superintendent of Police, the Sub-Divisional Magistrate, the Deputy Superintendent of Police. The State Government has also said that a retired High Court Judge, Justice R.K. Verma, has been appointed to enquire into the incident.

रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, मैं आनरेबल मैम्बर्स के साथ जज़्बाती तौर पर सहमत हूं। इन पवित्र जगहों पर सिर्फ इन्सानी नुकसान ही नहीं हुआ बल्कि उन डिवोटीज़ का जानी नुक्सान हुआ है। वो चल बसे हैं जो वहां एक अकीदत के साथ अपना मज़हबी फरीज़ा अदा करने के लिए गये थे। मैं फुली सहमत हूं मैम्बराने पार्लियामेंट साहेबान के साथ जिन्होंने दिल की अमीक् गहराइयों के साथ इस दुख का इज़हार किया। मैं भी बहुत दुखी हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं समझाऊंगा क्योंकि यह लॉ एंड आर्डर का मसला है, यह स्टेट सब्जेक्ट रियासत का है। यह मैं मानता हूं that this is absolutely a lapse on their part. इनएडीक्वेट अरेंजमेंट था। मेरे ख्याल में जिन लोगों की जिन रिस्पोंसिबल आफिसर्ज़ की इसमें कोई भी नेग्लीजेंस हो, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिये। इन पाक और पवित्र जगहों की, मैं उस ज़मीन की हिस्टरी जानता हूं। मैं हिस्टोरियन नहीं हूं लेकिन हिस्टरी स्टुडेंट हूं। मैं हरिद्वार की हिस्टरी जानता हूं, इसकी मज़हबी अहमियत जानता हूं। सिर्फ मज़हबी अहमियत ही नहीं बल्कि इन्सानी अहमियत जानता हूं। यह हमारे देश को ही नहीं बल्कि दुनिया के रहबरी मरकज़ हैं। मुझे इंतेहाई दुख है कि इतना नुक्सान क्यों हुआ, इतने लेप्सेज़ क्यों हुए, इतने इनएडीक्वेट अरेंजमेंट क्यों हुए लेकिन अब जबकि वहां ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के लिए आर्डर हुए हैं, हमें इंतजार करना पड़ेगा जब वहां की रिपोर्ट आएगी। मैं गवर्नमेंट की तरफ से सब दुखी साथियों को एश्योरेंस देता हूं कि जो भी इसमें नेग्लीजेंट पाया जाएगा, कसूरवार पाया जाएगा, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिये। थेंक यू।

श्री राधाकिशन मालवीय: माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्थानांतरण कर दिया। किन-किन का स्थानांतरण किया? नगर पुलिस अधीक्षक, मंदिर क्षेत्र का प्रभावी पुलिस इंस्पेक्टर और ड्यूटी पर तैनात मेजीस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, इनको ट्रांस्फर किया गया। मेहरबानी कर के पी०एस० तोमर कमिश्नर और के०पी० सिंह क्लक्टर दोनों को पहले सस्पेंड किया जाए। लेकिन इन छोटे आदमियों को क्यों किया। पहले इनको सस्पेंड करो फिर इन्क्वायरी हो, फिर जो दोषी पाया जाए उसको सज़ा मिले।

श्री मोहम्मद मकबूल डार: मैं मोहतरम् साथी के साथ इत्तेफाक करता हूं लेकिन ज्यूडिशियल इन्क्वायरी पर अगर यहां भी एक लैप्स है जो नहीं किया गया, इस पर भी जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिये।

श्री राधाकिशन मालवीय: कमिश्नर के पूजा में बैठने से झगड़ा पैदा हुआ। कमिश्नर अभिषेक में नहीं बैठते तो भीड़ नहीं होती वहां पर। उनको सस्पेंड करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद मकबूल डार: आपका एप्रिहेंशन सही हो सकता है लेकिन अब यह तब ही मान सकते हैं जब

ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की फाइनल रिपोर्ट आएगी।

श्री राघवजी: उपसभाध्यक्ष महोदया, इन्क्वायरी की जानी है, प्राइमा फेसी जो दोषी लोग हैं तोमर जैसे लोग उनको सस्पेंड किया जाना चाहिये तभी इन्क्वायरी सही होगी। अगर वे वहां बैठे रहेंगे तो सही इन्क्वायरी कैसे होगी?

श्री सतीश अग्रवाल: सस्पेंड करने में मजबूरी है तो कम से कम दूर ट्रांस्फर तो कर दीजिये।

श्री मोहम्मद मकबूल डार: वह तो किया है। मैंने अभी कहा है आप शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। **(व्यवधान)**

SHRI RAM GOPAL YADAV: Why has he not been suspended? That was the question.

श्री मोहम्मद मकबूल डार: कमिश्नर को ट्रांस्फर किया है। **(व्यवधान)**

SHRI RAM GOPAL YADAV: He should have been suspened.

प्रो॰ राम लखन सिंह वर्मा: माननीय मंत्री जी ने हरिद्वार के संबंध में कुछ नहीं बताया। **(व्यवधान)**

STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE ARBITRATION AND CONCILIATION (THIRD) ORDINANCE, 1996 (NO. 27 OF 1996) PROMULGATED BY THE PRESIDENT OF THE 21st JUNE 1996.

THE ARBITRATION AND CONCILIATION BILL, 1996—Contd.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सदन की इजाजत हो तो क्या हम लोग स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन ले सकते हैं। मीणा जी बोल रहे थे उस विषय पर, आप अपना भाषण फिर से शुरू करेंगे।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): मैं कर रहा हूं मैडम..

एक माननीय सदस्य: यह कब तक चलेगा?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अभी तो अग्रवाल जी बोलेंगे, एक और वक्ता बोलने वाले हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): मैडम वाईस चैयरमैन, फिर आज तो खत्म नहीं होगा। यह कैसे होगा?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): संभवतया: हो जाएगा। अभी एक वक्ता और बोलने वाले हैं। उसके बाद आपका जवाब होगा।

श्री सतीश अग्रवाल: मैं तो विदड्रा कर दूंगा। ये एश्योरेंस दे देंगे तो मैं विदड्रा कर लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): तब तक मंत्री जी आएंगे। मंत्री जी के आने के बाद सारा खत्म हो ही जाएगा बिल पास होकर।

श्री सतीश अग्रवाल: मीणाजी, जरा जल्दी कर दें मेहरबानी करके। हमारे चेयरमैन साहब का डिनर है, उसमें जाना है।

श्री मूलचन्द मीणा: उस डिनर में मुझे भी जाना है। मैं दो-तीन प्वाइंट बोलूंगा।

यह माध्यस्थम् और सुलह विधेयक पास होने के बाद निश्चित रूप से न्यायालयों को सुविधाजनक होगा। कई ऐसे मामले होंगे जिनमें न्यायालय अपना निर्णय नहीं दे सकते हैं। न्यायालय निर्णय देने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे कई मामलों को माध्यस्थम् और सुलह विधेयक के माध्यम से पंचाट बनाकर सुलझाया जा सकता है। मैं यह भी कह रहा था कि माध्यस्थ अधिकरण कानून बनने के बाद जो माध्यस्थ पंचाट है वे अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करेंगे, सीमाओं से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं करेगा। वे सीमाओं में रहकर कार्य करेंगे। तो इससे जो भावना व्यक्त की गयी, कई सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बात कही, वह बात भी कंट्रोल होगी। उस मायने से भी यह बिल महत्वपूर्ण है। साथ ही सम्पत्ति के बारे में जो निर्णय माध्यस्थ के माध्यमों से होंगे, वे, जो डिक्री न्यायालय देते हैं, उसी प्रकार के माने जाएंगे। इससे लोगों को इस पर विश्वास होगा, इसके ऊपर विश्वास बनेगा कि इस माध्यस्थ के जो निर्णय हैं, ये महत्वपूर्ण निर्णय हैं। न्यायालय जैसा निर्णय लोग महसूस करेंगे। तो इससे यह फायदा होगा कि कुल डिक्री में जो लम्बा समय लगता है उस समय में बचत होगी और खर्चे की भी बचत होगी। साथ ही इस माध्यस्थ को यह भी अधिकार होगा कि निर्णय जो पंचाट ने दिया है सम्पत्ति से संबंधित उस पर ब्याज का क्या रेट हो, कितना ब्याज हो। इसका फैसला भी माध्यस्थ करेगा।

मैडम, इस बिल के पास होने के बाद हमारी जो धारणा बनी हुई है कि न्यायालयों के अंदर न्याय नहीं मिलता है, न्याय होने में देरी होती है, वह दूर होगी। यह शायद उसमें सहयोगी होगा और हमारे जो निर्णय रुके हुए हैं उनमें शीघ्रता आएगी। यही मैं कहना चाहता हूं। थैंक्यू।